



प्रेस नोट

दिनांक 07.10.2024

थाना मझगवां पुलिस द्वारा लूट के वांछित अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना मझगवां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 153/2024 धारा 309(4)/317(2)/111 बी0एन0एस0 व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम से सम्बन्धित 03 अभियुक्तगण 1. रॉकी राजपूत पुत्र नितबरन राजपूत 2. आकिल खान पुत्र मुबारिक खान 3. मनीष राजपूत पुत्र जगमोहन राजपूत को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ कोठा शराब ठेका से करीब 20 मीटर दूरी पर बकरई की ओर सड़क पर बहद ग्राम कोठा थाना मझगवां जनपद हमीरपुर से गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी का विवरण –

- 01.03 अदद तमंचा नाजायज 315 बोर
- 02.03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 03.2800 रूपये नगद व
- 04.01 अदद मोबाइल SPARK TECNO कंपनी का रंग आसमानी नीला माल मसरूका
- 05.01 अदद मोटरसाइकिल हीरो स्पलेण्डर प्लस बिना नंबर प्लेट (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. रॉकी राजपूत पुत्र नितबरन राजपूत निवासी ग्राम नौरंगा थाना मागवां जनपद हमीरपुर (उम्र करीब 21 वर्ष)
2. आकिल खान पुत्र मुबारिक खान निवासी ग्राम टूका थाना राठ जनपद हमीरपुर (उम्र करीब 24 वर्ष)
3. मनीष राजपूत पुत्र जगमोहन राजपूत निवासी ग्राम इटौरा थाना मझगवां जनपद हमीरपुर (उम्र करीब 22 वर्ष)

गिरफ्तार व बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र०नि० नन्दराम प्रजापति	2. उ०नि० ओमप्रकाश वर्मा
3. उ०नि० तौफीक अहमद	4. उ०नि०प्रशि० अमोल सिंह
5. हे०का० महेन्द्र सिंह	6. का० आरेन्द्र पाल
7. का० आशीष मिश्रा	8. का० अमन सिंह

